

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : रा.आ.मं./मु.अभि.मु./2024-25/...289

दिनांक : 28/01/2025

## कार्यालय आदेश

मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक CE (HQ)/ 2024-25/225 दिनांक 03.12.2024 द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु दोष दायित्व अवधि का निर्धारण किया गया है। दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) प्रावधित निर्माण कार्यो हेतु निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित निर्माण कार्यो में दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) शेष नहीं है। भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावों में निर्धारित चैक स्लिप के बिन्दु संख्या 7 में इसका स्पष्ट उल्लेख करें तथा खण्ड कार्यालय द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये कि प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) के अन्तर्गत नहीं है। संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी की जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश में भी इसका स्पष्ट अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. रश्मि शर्मा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर
4. अति.मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर
5. निदेशक (परियोजना), रा.आ.मं., जयपुर
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा.आ.मं.
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, रा.आ.मं.
8. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर-ईमेल से सम्बन्धितों को प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashmi Sharma  
Designation : Commissioner  
Date: 2025.01.28 16:05:09  
Reason: Approved

